रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 11—जनवरी 17, 2014 (पौष 21, 1935)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11—JANUARY 17, 2014 (PAUSA 21, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	15
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	23
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	53
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	17
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	3
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	17
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	15
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	23
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	53
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	17
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	17
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली,दिनांक 27 दिसम्बर 2013

सं. 167-प्रेज़/2013-भारत के राष्ट्रपति वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :--

सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक

1. मा. एम. खार्यींठै (मरणोपरांत), मणिपुर
2. श्री शोम्या रंजन बिश्बाळ (मरणोपरांत), ओडिशा
3. मा. रामदिनथारा (मरणोपरांत), मिजोरम

उत्तम जीवन रक्षा पदक

1. श्री शाश्वत राज, कर्नाटक
2. श्री अर्जुन ओली, उत्तराखण्ड
3. मा. तरंग अतुलभाई मिस्त्री, गुजरात
4. मा. मुकेश निषाद, छत्तीसगढ़
5. मा. विष्णु एम. वी., केरल
6. मा. स्ट्रिपलीजमेन मिलियम, मेघालय

जीवन रक्षा पदक

1. श्री सुशील कुमार, हिमाचल प्रदेश
2. श्री फयाज़ अहमद् नायक, हिमाचल प्रदेश
3. श्री तोमस टी.टी., केरल
4. श्री मुन्वर युसुफ खान, महाराष्ट्र
5. श्री निरज केसर ठाकुर, महाराष्ट्र
6. श्री सुधाकर गोपाळ मोंडकर, महाराष्ट्र
7. श्री मंगेश रामचन्द्र हरम, महाराष्ट्र
8. श्री सोमनाथ बालाजी भरडे, महाराष्ट्र
9. श्री तात्यासाहेब अर्जुन बनसोडे, मिजोरम
10. श्री मुकेश चौधरी, राजस्थान
11. मा. आशीष, दिल्ली
12. श्री प्रकाश भूषण झा, जम्मू-कश्मीर
13. श्री सुरेश लाल, जम्मू-कश्मीर
14. श्री गुरदेव सिंह, जम्मू-कश्मीर
15. श्री राज कुमार, उत्तराखण्ड
16. श्री अर्जन सिंह, असम
17. डॉ. संजय कुमार, हिमाचल प्रदेश
18. श्री विनोद वामन राव, महाराष्ट्र
19. श्री सतीश कुमार, उत्तर प्रदेश
20. श्री पवन कुमार राणा, हिमाचल प्रदेश
21. मा. उत्तम कुमार सर्व, छत्तीसगढ़
22. मा. मोहम्मद मीधिलाज पी. पी., केरल
23. मा. ई. सुगन्धन, तमिलनाडु
24. मा. अरम्बाम संजोअबा सिंह, मणिपुर
25. मा. विश्वेन्द्र लोखना, उत्तर प्रदेश
26. मा. सतेन्द्र लोखना, उत्तर प्रदेश
27. मा. धर्मेन्द्र कुमार, उत्तर प्रदेश
28. कु. आकांक्षा गौते (सिम्मी), छत्तीसगढ़

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

सं. रा.स.-16/1/2013-रा.भा.प्र.--राज्य सभा के माननीय सभापति ने 11 दिसम्बर, 2013 से राज्य सभा सचिवालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। समिति का कार्यकाल, इसके कृत्य और गठन आदि निम्नानुसार है :--

शासकीय सदस्य

1. माननीय उपसभापति, राज्य सभा - उपाध्यक्ष (माननीय सभापति की अनुपस्थिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे)

अशासकीय सदस्य

राज्य सभा के सदस्य

2. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा

3. श्री जनार्दन द्विवेदी

4. श्री मुख्तार अब्बास नक़वी

5. श्री तरुण विजय

6. प्रो. एस.पी. सिंह बघेल

7. डॉ. टी.एन. सीमा

8. श्री मो. नदीमुल हक

9. श्री बशिष्ठ नारायण सिंह

10. श्रीमती जया बच्चन

11. श्री डी.पी. त्रिपाठी

12. श्री जी. एन. रतनपुरी

संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य

13. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी

14. श्री दारा सिंह चौहान

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि

15. श्री पंकज दीवान

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ के प्रतिनिधि

16. डॉ. गिरीश गांधी

अन्य शासकीय सदस्य

17.महासचिव, राज्य सभा

18. अपर सचिव (क्यू), राज्य सभा सचिवालय

19. अपर सचिव (पी), राज्य सभा सचिवालय

20. सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार

21. राज्य सभा सचिवालय के राजभाषा प्रभाग से संबद्ध संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी [संयुक्त सचिव (आई)]

22. राजभाषा विभाग, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि जो कि संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे न हो।

राज्य सभा के माननीय सभापति समिति के अध्यक्ष हैं

2. कार्य

समिति का कार्य सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में राज्य सभा सचिवालय को सलाह देना होगा। एक कलैन्डर वर्ष में समिति की कम से कम दो बैठकें होंगी।

3. कार्यकाल

पुनर्गठित समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, बशर्ते कि :--

(क) राज्य सभा के सदस्य, जो समिति के सदस्य हैं, राज्य सभा का सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उन पदों पर हैं, जिनके कारण वह समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किए गए सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष के कार्यकाल की अवशिष्ट अवधि के लिए होगा।

4. सामान्य

राज्य सभा सचिवालय का निदेशक (संपादन एवं अनुवाद सेवा) समिति की बैठकों का समन्वय करेगा तथा राज्य सभा सचिवालय का राजभाषा प्रभाग, समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करेगा।

5. यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अशासकीय सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/4/86-रा.भा.(क-2)में अंतर्विष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

चन्द्र शेखर मिश्र
निदेशक

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

विषय : परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी 2014 से आगे बढ़ाया जाना।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I(1)--सरकार द्वारा परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को दिनांक 09 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I द्वारा प्रारंभ में 01 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय किया गया था तथा उन्हें तत्पश्चात् समय-समय पर बढ़ाया गया था। इन प्रावधानों को इस बीच 31 दिसम्बर 2013 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतद्द्वारा परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी 2014 से आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 09 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

केशव कुमार
उप सचिव

विषय : यार्न, फब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी 2014 से आगे बढ़ाया जाना।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I(2)--सरकार द्वारा यार्न,फब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को दिनांक 09 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I द्वारा प्रारंभ में 01 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय किया गया था तथा उन्हें तत्पश्चात् समय-समय पर बढ़ाया गया था। इन प्रावधानों को इस बीच 31 दिसम्बर 2013 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतद्द्वारा यार्न,फब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी 2014 से आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 09 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

केशव कुमार
उप सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्तूबर 2013

सं. आर.14011/2/2013-एनआरएचएम-II--मिशन संचालन समूह (एमएसजी) और अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (ईपीसी) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत् गठित सबसे बडी नीति-निर्धारक एवं संचालन संस्था रही है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 01 मई, 2013 के अपने निर्णय के तहत् व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएमएम) के एक उप-मिशन के रूप में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) की शुरूआत की मंजूरी दी है, जिसका दूसरा उप-मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) है। दिनांक 15 मई, 2013 के संकल्प के तहत् यह संकल्प लिया गया है कि सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन (एचयूपीए) तथा सचिव, शहरी विकास (यूडी) को सदस्यों के रूप में सहयोजित करके मौजूदा अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (ईपीसी) का विस्तार किया जाएगा। उपर्युक्त संकल्प के आलोक में एतद्द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत् अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (ईपीसी) का गठन किया जाता है जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

1. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)-अध्यक्ष
2. सचिव (योजना आयोग) *-सदस्य
3. सचिव (पेयजल) *-सदस्य
4. सचिव (महिला एवं बाल विकास) *-सदस्य
5. सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) *-सदस्य
6. सचिव (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन) *-सदस्य
7. सचिव (शहरी विकास) *-सदस्य
8. सचिव (ग्रामीण विकास) *-सदस्य
9. सचिव (पंचायती राज) *-सदस्य
10. सचिव (प्रारंभिक शिक्षा) *-सदस्य
11. सचिव (माध्यमिक शिक्षा) *-सदस्य
12. सचिव (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास) *-सदस्य
13. सचिव (व्यय) *-सदस्य
14. सचिव (आयुष) *-सदस्य
15. सचिव (जनजातीय मामले) *-सदस्य
16. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक-सदस्य
17. अपर सचिव (वित्तीय सलाहकार)-सदस्य
18. अपर सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)-सदस्य
19. 2 जन स्वास्थ्य व्यवसायी-सदस्य
20. मिशन निदेशक-संयोजक

*अथवा उनके प्रतिनिधि

आदेश

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

केशव देसिराजु
सचिव

दिनांक 2 दिसम्बर 2013

सं. आर.-14011/2/2013-एनआरएचएम-II--इस मंत्रालय की दिनांक 20 सितम्बर, 2013 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में 31.03.2017 की अवधि के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (ईपीसी) में निम्नलिखित दो लोक स्वास्थ्य व्यवसायियों को नामित किया जाता है :--

1. डॉ. सौमय्या स्वामिनाथन, राष्ट्रीय निदेशक, क्षय अनुसंधान संस्थान, चेन्नई।
2. डॉ. नर्गिस मिस्त्री, निदेशक एफआरसीएच, मुंबई

आदेश

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

केशव देसिराजु
सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चत्तर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

सं. एफ. 10-2/2013-यू.3(ए)--जबकि, केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन शक्ति प्राप्त है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करे।

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, इस मंत्रालय की दिनांक 30 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना सं. एफ. 9-12/84/यू.3 के द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटियाला, पंजाब को एक 'सम-विश्वविद्यालय संस्था' के रूप में घोषित किया गया था।

3. और आगे जबकि, ''सम-विश्वविद्यालय'' संस्था ने ''थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटियाला, पंजाब'' की परिधि के अंतर्गत ग्राम-बेहरा, बेहरा-डेराबस्सी रोड, तहसील-डेराबस्सी, जिला-एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में एक कार्यालय कैम्पस केन्द्र की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु वर्ष 2013 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

4. और जबकि, इस मंत्रालय ने दिनांक 15 मई, 2013 के अपने पत्र सं. 10-2/2013-यू.3(ए) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को थापर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव जांच और सिफारिश करने के लिए भेजा है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रस्तावित ऑफ-कैम्पस केन्द्र पर उपलब्ध अवसंरचनात्मक और अन्य सुविधाओं की मौके पर आकलन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की।

5. और जबकि, विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 27 अगस्त, 2013 को प्रस्तावित डेराबस्सी ऑफ-कैम्पस का दौरा किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डेराबस्सी स्थित प्रस्तावित ऑफ-कैम्पस में थापर विश्वविद्यालय का ऑफ-कैम्पस चलाने के लिए विद्यमान अवसंरचना और अन्य अत्यावश्यक पूर्व अपेक्षाएं अपर्याप्त हैं, अत: इसकी सिफारिश नहीं की जा सकती।

6. और आगे जबकि, विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष (प्रो. एच. पी. दीक्षित) को 28 अगस्त, 2013 को थापर विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एक पत्र मिला जिसमें विद्यमान मैनेजमेंट स्कूल अर्थात् एलएमटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को डेराबस्सी स्थित प्रस्तावित ऑफ-कैम्पस का स्थान बदलने के बारे में आरंभिक प्रस्ताव में परिवर्तन करने की मांग की गई।

7. और जबकि, विश्वविद्यालय के पत्र को देखते हुए, इस समिति ने 28 अगस्त, 2013 को प्रस्तावित डेराबस्सी ऑफ-कैम्पस का पुन: दौरा किया। समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उसकी राय है कि ऐसा संशोधित प्रस्ताव प्रबंधन बोर्ड तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन आने के बाद आना चाहिए।

8. और आगे जबकि, समिति की आपत्ति के प्रत्युत्तर में संस्थान ने दिनांक 17 अक्तूबर, 2013 के पत्र सं. टीयू/जीएएस/225 द्वारा समिति के अध्यक्ष को सूचित किया कि इस संशोधित प्रस्ताव को विश्वविद्यालय के सक्षम निकायों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

9. और जबकि, संस्थान का उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् समिति ने सिफारिश की कि चूंकि इस विश्वविद्यालय ने दिनांक 17.10.2013 के अपने पत्र सं. टीयू/जीएएस/225 द्वारा सूचित किया है कि पूर्वोक्त प्रस्ताव विश्विद्यालय के सक्षम निकायों द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसलिए विद्यमान मैनेजमेंट स्कूल अर्थात् एलएमटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को डेराबस्सी स्थित प्रस्तावित ऑफ-कैम्पस का स्थान बदलने के प्रस्ताव पर अनुमोदन के लिए विचार किया जाए।

10. और जबकि, इस समिति की रिपोर्ट को आयोग की दिनांक 29.11.2013 को हुई उसकी 496वीं बैठक के समक्ष रखा गया था। आयोग का संकल्प इस प्रकार है :--

''आयोग ने इसकी समग्रता में इस मामले का पुन: आकलन किया और दिनांक 16 सितम्बर, 2013 के इस विश्वविद्यालय के पत्र जिसमें केवल उसके विद्यमान एमबीए कार्यक्रम (पटियाला स्थित मुख्य कैम्पस से) को डेराबस्सी स्थित प्रस्तावित ऑफ-कैम्पस में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया है और विश्वविद्यालय के दिनांक 17 अक्तूबर, 2013 के पत्र, जिसमें सूचित किया गया है कि एमबीए कार्यक्रम को (मुख्य कैम्पस से डेराबस्सी स्थित प्रस्तावित ऑफ-कैम्पस) जिसे उस विश्वविद्यालय के सक्षम निकायों द्वारा अनुमोदित किया गया था, में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, पर विचार करने के बाद निर्णय किया कि केवल विद्यमान एमबीए कार्यक्रम को डेराबस्स्सी स्थित प्रस्तावित ऑफ-कैम्पस में स्थानांतरित करके डेराबस्सी में ऑफ-कैम्पस केन्द्र स्थापित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचित किया जाए।''

11. और, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि पुन: स्थानांतरित एमबीए कार्यक्रम को मुख्य कैम्पस से डेराबस्सी स्थित प्रस्तावित ऑफ-कैम्पस थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, संस्थान, सम-विश्वविद्यालय पटियाला, पंजाब की परिधि के अधीन एक ऑफ-कैम्पस के रूप में एक अनुषंगी शिक्षण एकक होगा। यह छह वर्ष के लिए द्विवार्षिक समीक्षा के अध्यधीन और उसके पश्चात् पांच वर्ष के बाद यूजीसी (विश्वविद्यालयवत् संस्थाएं) विनियम, 2010 के तहत् निर्धारित सामान्य निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होगा।

12. ऊपर पैरा 11 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्र. सं. 4 पर उल्लिखित शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन है।

आर. पी. सिसोदिया
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 2013

संकल्प

सं. 6-3/2013-जेडसीसी--भारत सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) की स्थापना की है, जिनके मुख्यालय पटियाला, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर, नागपुर, और तंजावुर में हैं। जेडसीसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों की पारंपरिक लोक कलाओं और संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन और प्रसार करना है। जेडसीसी अपने क्षेत्र विशेष की विभिन्न कलाओं की समृद्ध विविधता एवं विलक्षणता को विकसित एवं प्रोत्साहित करने तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत

के बारे में लोगों की जानकारी को बढ़ाने और समृद्ध बनाने का प्रयास करता है।

2. जेडसीसी की स्थापना प्रादेशिक और भाषायी सीमाओं से ऊपर उठकर की गई है और ये न केवल प्रतिभागी राज्यों की संस्कृति के रूपों की विलक्षणता का चित्रण प्रस्तुत करते हैं बल्कि भारत की साझी संस्कृति के भाग के रूप में एक-दूसरे के साथ इनके परस्पर संबंधों को भी प्रस्तुत करते हैं। जेडसीसी के अधिदेश को दृष्टिगत रखते हुए, जेडसीसी के बीच में न केवल समुचित समन्वय सुनिश्चित करने हेतु अपितु जेडसीसी और उनके सहभागी सदस्य राज्यों के बीच में भी कार्यक्रमों ओर कार्यकलापों का प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सदस्य-संरचना के अनुसार जेडसीसी की समन्वय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है :--

1. श्री मणिशंकर अय्यर	अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री के दर्जे सहित)
2. छह जेडसीसी के अध्यक्ष	सदस्य (पदेन)
3. एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रीय आधार पर एक जेडसीसी का निदेशक	सदस्य-सचिव (पदेन)

3. समन्वय समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :--

i. जेडसीसी और इनके सदस्य राज्यों के बीच समन्वय करना, ताकि उपयुक्त तरीके से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके; जेडसीसी द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाली अय्यर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना और एक क्षेत्र के कलारूपों को दूसरे क्षेत्र में प्रस्तुत करना तथा एक क्षेत्र की विविध सांस्कृतिक विरासत को देश के शेष भागों में प्रदर्शित करना;

ii. संस्कृति मंत्रालय और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय करना, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की लोक और जनजातीय कला एवं कलाकारों का प्रदर्शन किया जा सके;

iii. सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यकरण की वार्षिक समीक्षा करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या जेडसीसी ने उन उद्देश्यों को पूरा किया है, जिसके लिए इन्हें स्थापित किया गया था और कमियों के कारण, यदि कोई हों तथा संबंधित जेडसीसी के महामहिम राज्यपाल--सह-अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

iv. राज्य/केन्द्र के सदृश्य निकायों और देश में प्रतिष्ठित अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ उचित एवं प्रभावकारी समन्वय के लिए तौर-तरीके और साधन संबंधी सुझाव देना।

4. जेडसीसी की समन्वय समिति के निबंधन एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी :--

i. समन्वय समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित होगी;

ii. समन्वय समिति की बैठकें संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यत: वर्णक्रम के अनुसार क्षेत्र-वार आयोजित की जाएंगी। तथापि, सही स्थान का निर्णय तदनुसार अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा;

iii. समन्वय समिति की प्रत्येक बैठक के लिए सदस्यों को एक माह पूर्व सूचना दी जाएगी;

iv. बैठक आयोजित करने के लिए अध्यक्ष सहित कुल एक तिहाई सदस्य कोरम का गठन करेंगे;

v. समन्वय समिति अपने कार्यकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी अन्य कार्य प्रणाली विकसित कर सकती है;

vi. समन्वय समिति (सीसीसी) के अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्षों की अवधि के लिए होगा;

vii. श्री शैलेन्द्र दशोरा, निदेशक, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (डब्ल्यूजेडसीसी), उदयपुर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रथम सदस्य सचिव होंगे और इसके बाद श्री गौरव कृष्ण बंसल, निदेशक, उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एनसीजेडसीसी), इलाहाबाद द्वितीय वर्ष के लिए सदस्य सचिव होंगे;

viii. समन्वय समिति केवल विशेष अतिथि के रूप में आवश्यकता के आधार पर राज्यों से संस्कृति के प्रभारी सचिवों को आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत है;

ix. जहां समन्वय समिति का कोई सदस्य अपने धारित पद के कारण ऐसा सदस्य हो जाता है तो पद धारित नहीं करने की स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी;

x. सचिवालय सहायता, आधिकारिक आवास और परिवहन संस्कृति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा इससे संबंधित सभी व्यय संस्कृति मंत्रालय के कार्यालय व्यय से पूरा किया जाएगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अरविंद मंजीत सिंह
संयुक्त सचिव

दिनांक 17 सितम्बर 2013

शुद्धि-पत्र

सं. 6-3/2013-जेडसीसी--संस्कृति मंत्रालय के दिनांक 09 सितम्बर, 2013 के संकल्प सं. एफ. 6-3/2013-जेडसीसी के आंशिक संशोधन के पश्चात् पैरा 4(x) को निम्नानुसार पढ़ा जाए :--

(x) सचिवालय सहायता, कार्यालयी आवास, परिवहन तथा अन्य रख-रखाव संबंधी कार्यों के लिए मानवशक्ति के प्रावधान से जुड़े सभी मामले एनसीजेडसीसी द्वारा इसके दिल्ली के स्थानीय कार्यालय द्वारा किए जाएंगे।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र की एक प्रति सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

अरविंद मंजीत सिंह
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

सं. 10-11/2008-एम-I--राष्ट्रीय संग्रहालय कला इतिहास संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के संगम-ज्ञापन के अनुच्छेद 7 (क) और केन्द्रीय सरकार के परामर्श से संस्थान की सोसायटी के अध्यक्ष से प्राप्त मनोनयन के अनुसरण में, संस्थान के शैक्षणिक परिषद् का इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक इसका पुनर्गठन नहीं हो जाता है, जो भी पहले हो, निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :--

क्र.सं.	संरचना	स्थिति	मनोनयन
1	2	3	4
1.	कुलपति, एनएमआई	पदेन अध्यक्ष	महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय और संस्थान के कुलपति
2.	निदेशक, एनएमआई	पदेन सदस्य	रिक्त
3.	डीन (शैक्षिक मामले) एनएमआई और संस्थान के विभागों के विभागाध्यक्ष	पदेन सदस्य	i. प्रो. अनूपा पांडे, डीन (शैक्षिक मामले) और विभागाध्यक्ष, कलाइतिहास विभाग ii. प्रो. एम.वी. नायर, विभागाध्यक्ष, संरक्षण विभाग
4.	संस्थान के विभागाध्यक्षों के अलावा प्रोफेसर	पदेन सदस्य	रिक्त
5.	कुलपति द्वारा मनोनीत वरिष्ठता के क्रम में बारी-बारी से विभागाध्यक्ष के अलावा प्रत्येक विभाग से एक रीडर	पदेन सदस्य	रिक्त
6.	कुलपति द्वारा मनोनीत वरिष्ठता के क्रम में बारी-बारी से प्रत्येक विभाग से एक लेक्चरर	पदेन सदस्य	i. डॉ. सविता कुमारी (कला इतिहास) ii. डॉ. सतीश सी. पांडे (संरक्षण) iii. डॉ. मानवी सेठ (संग्रहालय विज्ञान)
7.	केन्द्रीय सरकार के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा मनोनीत संस्थान में सेवारत प्रतिष्ठित शिक्षाविदों अथवा संग्रहालय विज्ञान, पुरातत्व, अभिलेखीय अध्ययन, संरक्षण, मानव विज्ञान और सदृश क्षेत्र के व्यक्तियों के बीच से पांच व्यक्ति	सदस्य	i. श्रीमती साधना कपूर 202,गंगा यमुना कॉम्पलैक्स, (बेसमेंट) जोन-I, एम.पी. नगर भोपाल-462001 ii. डॉ. एस.बी. रॉय अध्यक्ष, आईबीआरएडी जेटी-17 प्रफुल्ल कानन केस्टोपुर, वीआईपी, आरडी, दमदम पार्क, कोलकाता-700101, पश्चिम बंगाल iii. सुश्री तसनीम मेहता मानद, निदेशक,डॉ. भाऊ दाजीलाल संग्रहालय, वीरमाता जीजाबाई उद्यान, 91/ए, डॉ. अंबेडकर रोड, बाइकुल्ला इर्स्ट, मुंबई-27 iv. श्री गीतेश शर्मा 19बी, चौरंगी रोड, कोलकता-70087 v. श्री अशोक कुमार महापात्रा C-II/35, मोती बाग-I, शांति पथ, नई दिल्ली-110021
8.	यूजीसी के अध्यक्ष का एक नामिती	पदेन सदस्य	--

1	2	3	4
9.	संस्थान से संबंधित मामलों की देख-रेख करने वाले केन्द्रीय सरकार के विभाग से एक प्रतिनिधि	पदेन सदस्य	संयुक्त सचिव (संग्रहालय), संस्कृति मंत्रालय
10.	बारी-बारी (रोटेशन) से नियम 6क (ix) पर मनोनीत किए गए उन व्यक्तियों में से दो नामिती	पदेन सदस्य	i. महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली ii. निदेशक,एनजीएमए, नई दिल्ली
11.	रजिस्ट्रार	गैर-सदस्य सचिव	प्रो. एम.वी. नायर

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संजय कुमार
अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

सं. 1/18/2012-आईईसी (पार्ट-VI)/1278--भारत सरकार ''जल संरक्षण वर्ष 2013'' के दौरान जल संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान शुरू करने तथा राष्ट्रीय जल नीति, 2012 और राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करने के उद्देश्य से जल संरक्षण के संबंध में जन जागरूकता संबंधी सलाहकार परिषद का गठन करती है।

1. संरचना :

1. मंत्री, जल संसाधन - अध्यक्ष
2. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय - सदस्य
3. विशेष सचिव/अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय - सदस्य
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड - सदस्य
6. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य
7. सलाहकार (जल संसाधना), योजना आयोग - सदस्य

प्रतिनिधि :

8. डॉ. एन.के. साहू, आर्थिक सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय
9. श्री सत्यब्रत साहू, संयुक्त सचिव (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
10. डॉ. अशोक सिंघवी, संयुक्त सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय
11. श्री आर.बी. सिन्हा, संयुक्त सचिव (एनआरएम एवं आरएफएस), कृषि मंत्रालय
12. श्री मनिदंर सिंह, संयुक्त सचिव, पर्यावरण वन मंत्रालय
13. संयुक्त सचिव (प्रशा.) जल संसाधन मंत्रालय - सदस्य सचिव

पेशेवर/विशेषज्ञ/शिक्षाविद :

14. डॉ. अजय सिंह, जिला-उधमसिंह नगर
15. श्री अशोक चौहान, अध्यक्ष, एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा
16. डॉ. संयज चौधरी, सहायक प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय
17. डॉ. पी.पी. सिंह, विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता, भोपाल
18. डॉ. आर.के. चौधरी, सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक, जिला-हरिद्वार
19. डॉ. एन.आर. रवि, बैंगलौर

गैर सरकारी संगठनों से प्रतिनिधि :

20. रामानन्दचार्य, भीमगोरा हरिद्वार
21. चिदामुनी सरस्वती महाराज, ऋषिकेश, जिला-देहरादून
22. श्री राजेन्द्र सिंह, 'जल पुरुष'
23. श्री श्रीकुंज, गंगा सभा, हरिद्वार
24. श्री अजय चौधरी, अध्यक्ष, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, बसंत कुंज, नई दिल्ली

जल प्रयोक्ता संघों/किसानों से प्रतिनिधि :

25. श्री मोतीउर रहमान, रामपुर (उत्तर प्रदेश)
26. डॉ. अनिल जोशी, निदेशक, हासको, देहरादून
27. मौलाना फजलुर रहमान, नई दिल्ली
28. श्री राम खिलावन पासी, अधिवक्ता, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)
29. डॉ. अनुपम चौकसे, भोपाल
30. श्री माणक अग्रवाल, भोपाल
31. डॉ. संतोष सिंह, पूर्व सांसद, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)

पंचायत निकायों/नगर पालिकाओं से प्रतिनिधि :

32. श्री राम सिंह सैनी, पूर्व मंत्री, रुड़की, हरिद्वार

33. श्री रामेश्वर राजौरा, पूर्व सेवादल के मुख्य पंजाब, जिला भटिंडा

34. श्री जवाहर लाल, जिला-प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)

35. श्री विजय पाल, मुंबई

विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यक्ति :

36. श्री रवि ठाकुर, विधायक, हिमाचल प्रदेश

37. श्री मदन लाल पाहवा, पत्रकार एवं पीसीसी सदस्य, मानक विहार, नई दिल्ली

38. श्री अरविंद सिंह, राज्य सभा टीवी, नई दिल्ली

39. श्री राजीव चंदेल, जिला- इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

40. श्री प्रमोद प्रधान, राउरकेला

41. श्री नारायण प्रसाद मिश्र, जिला- बस्ती (उत्तर प्रदेश)

42. श्री शैलेन्द्र कुमार झा, चैनल हेड, लाइफ ओके, मुंबई

43. श्री गौरी दत्त जोशी, हैदराबाद

44. श्री रवि किशन, अंधेरी (प.), मुंबई

45. श्री किशोर उपाध्याय, पूर्व विधायक, दालांवाला, देहरादून

46. श्री राजीव नयन बहुगुणा, देहरादून

47. श्री हरिओम पटेल, ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल (म.प्र.)

महिला संगठन :

48. श्रीमती मंजू चौबे, रुड़की, जिला- हरिद्वार

2. विचारार्थ विषय :

निम्नलिखित के संबंध में परिषद बोर्ड दिशानिर्देशों की सलाह देगी:

(i) जल संरक्षण के महत्व पर जागरूकता सृजन करना और इसके न्यायोचित उपयोग की आवश्यकता।

(ii) जल संसाधन मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता सृजन करना।

(iii) राष्ट्रीय जल नीति 2012 का प्रचार करना।

(iv) राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्यों के बारे में संवेदनशील बनाना।

(v) जल समस्याओं से संबंधित विशेष क्षेत्र का प्राथमिकीकरण करना।

(vi) क्षेत्र विशिष्ट प्रौद्योगिकी/समाधान तैयार करना।

(vii) विभिन्न पणधारियों को संवेदनशील बनाना

(viii) विभिन्न पणधारियों के बीच समन्वय।

(ix) केन्द्र, राज्य और जिला स्तरीय परिषदों की कार्रवाई की आवधिक समीक्षा।

3. बैठक :

यथा आवश्क परिषद बैठक करेगी, तथापि प्रत्येक महीने में कम से कम एक बैठक का आयोजन किया जाएगा।

4. व्यय :

परिषद के सरकारी सदस्यों को टीए/डीए का भुगतान उस स्रोत से किया जाएगा जहां से वे अपना वेतन आहरित करते हैं और गैर-सरकारी सदस्यों का व्यय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अशोक गुप्ता
निदेशक (आईईसी)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर 2013

सं. क्यू-16012/2/2012-ईएसए(डब्ल्यूई)--जबकि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) के अंतर्गत केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1958 में की गई थी।

और जबकि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 3 में इसके संघटन का प्रावधान है।

अत: अब उपर्युक्त के नियम 3 के अनुसरण में तथा दिनांक 17 अप्रैल, 2013, 29 मई, 2013, 17 जून, 2013 और 12 अगसत 2013 की पूर्व अधिसूचना के अनुक्रम में निम्नलिखित व्यक्ति को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है :--

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि :--

1. श्रीमती रीता भदौरिया - सदस्य
उप श्रम आयुक्त,
गौतम बुद्ध नगर,
नोएडा, उत्तर प्रदेश
फोन नं. 0120-2541894
मो. नं. 91-9910343382

हरप्रीत सिंह
अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27th December 2013

No. 167-Pres./2013—The President of India is pleased to approve the conferment of the Jeevan Raksha Padak series of awards for the year 2013 on the following persons:—

Sarvottam Jeevan Raksha Padak

1. Master M. Khayingthei (Posthumous), Manipur
2. Shri Soumya Ranjan Biswal (Posthumous), Odisha
3. Master Ramdinthara (Posthumous), Mizoram

Uttam Jeevan Raksha Padak

1. Shri Shaashwath Raj, Karnataka
2. Shri Arjun Oli, Uttarakhand
3. Master Tarang Atulbhai Mistry, Gujarat
4. Master Mukesh Nishad, Chhattisgarh
5. Master Vishnu M. V., Kerala
6. Master Stripleaseman Mylliem, Meghalaya

Jeevan Raksha Padak

1. Shri Sushil Kumar, Himachal Pradesh
2. Shri Fayaz Ahmad Naik, Himachal Pradesh
3. Shri Thomas T. T., Kerala
4. Shri Munwar Yusuf Khan, Maharashtra
5. Shri Niraj Kesar Thakur, Maharashtra
6. Shri Sudhakar Gopal Mondkar, Maharashtra
7. Shri Mangesh Ramchandra Haram, Maharashtra
8. Shri Somnath Balaji Bharde, Maharashtra
9. Shri Tatyasaheb Arjun Bansode, Maharashtra
10. Shri Mukesh Choudhary, Rajasthan
11. Master Ashish, Delhi
12. Shri Prakash Bhushan Jha, Jammu & Kashmir
13. Shri Suresh Lal, Jammu & Kashmir
14. Shri Gurdev Singh, Jammu & Kashmir
15. Shri Raj Kumar, Uttarakhand
16. Shri Arjan Singh, Assam
17. Shri Sanjay Kumar, Himachal Pradesh
18. Shri Vinod Waman Rao, Maharashtra
19. Shri Satish Kumar, Uttar Pradesh
20. Shri Pawan Kumar Rana, Himachal Pradesh
21. Master Uttam Kumar Sarva, Chhattisgarh
22. Master Mohammed Midhilaj P. P., Kerala
23. Master E. Suganthan, Tamil Nadu
24. Master Arambam Sanajaoba Singh, Manipur
25. Master Viswendra Lohkna, Uttar Pradesh
26. Master Satendra Lohkna, Uttar Pradesh
27. Master Dharmendra Kumar, Uttar Pradesh
28. Ms. Akanksha Gaute (Simmy), Chhattisgarh

SURESH YADAV
OSD to the President

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 12th December 2013

No. RS-16/1/2013-RBP—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to reconstitute Hindi Salahkar Samiti for the Rajya Sabha Secretariat with effect from the 11th December, 2013. The tenure of the Samiti, its functions and composition etc. are given hereunder :—

Official Member

1. Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha-Vice-Chairman (Will act as the Chairman of the Samiti in the absence of Hon'ble Chairman)

Non-Official Members

Members of Rajya Sabha

2. Shri Vijay Jawaharlal Darda
3. Shri Janardan Dwivedi
4. Shri Mukhtar Abbas Naqvi
5. Shri Tarun Vijay
6. Prof. S. P. Singh Baghel
7. Dr. T. N. Seema
8. Shri Md. Nadimul Haque
9. Shri Bashistha Narain Singh
10. Smt. Jaya Bachchan
11. Shri D. P. Tripathi
12. Shri G. N. Ratanpuri

Members of the Committee of Parliament on Official Language

13. Shri Satyavrat Chaturvedi
14. Shri Dara Singh Chauhan

Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

15. Shri Pankaj Diwan

Representative of Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh

16. Dr. Girish Gandhi

Other Official Members

17. Secretary-General, Rajya Sabha

18. Additional Secretary (Q), Rajya Sabha Secretariat

19. Additional Secretary (P), Rajya Sabha Secretariat

20. Secretary, Department of Official Language, Government of India

21. Joint Secretary level officer dealing with Rajbhasha Prabhag of the Rajya Sabha Secretariat [Joint Secretary (I)]

22. A representative, not below the rank of Joint Secretary, of the Department of Official Language, Government of India.

Hon'ble Chairman, Rajya Sabha is the Chairman of the Samiti.

2. Functions

The functions of the Samiti will be to advise the Rajya Sabha Secretariat regarding progressive use of Hindi in official work. At least two meetings of the samiti may be held in a calendar year.

3. Tenure

The term of the reconstituted Samiti will be three years from the date of formation provided that :—

(a) Members of Rajya Sabha who are the members of the Samiti shall cease to be members as soon as they cease to be Members of Rajya Sabha.

(b) Ex-officio Members of the Samiti shall continue as Members as long as they hold the office by virtue of which they are Members of the Samiti.

(c) If a vacancy arises, on the Samiti due to resignation or death of a Member, the Member appointed in that capacity shall hold the office for the residual period of the tenure of three years.

4. General

Director (Editorial & Translation Service) Rajya Sabha Secretariat will co-ordinate the meetings of the Samiti and the Rajbhasha Prabhag of the Rajya Sabha Secretariat will provide secretarial assistance to the Samiti.

5. Travelling and other allowances

The non-official members will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance for attending the meetings of the Samiti at the prescribed rates as amended from time to time by the Government of India and instructions contained in O.M. No.II/20034/4/86-O.L.(A-2) dated 22nd January, 1987 of the Department of Official Language.

CHANDRA SHEKHAR MISHRA
Director

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 13th December 2013

Sub. : Extension of operation of residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2014.

No. 1/61/2004-Exports-I (1)—The Government, vide Notification No. 1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2013.

2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2014.

3. All other terms and conditions of the Notification dated 9th November, 2004 mentioned in Para 1 shall remain unchanged.

KESHAV KUMAR
Dy. Secy.

———

Sub. : Extension of operation of residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2014.

No. 1/61/2004-Exports-I (2)—The Government, vide Notification No. 1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2013.

2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2014.

3. All other terms and conditions of the Notification dated 9th November, 2004 mentioned in Para 1 shall remain unchanged.

KESHAV KUMAR
Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 20th September 2013

No. R-14011/2/2013-NRHM-II—Mission Steering Group (MSG) and Empowered Programme Committee (EPC) have been the highest policy making and steering institutions constituted under National Rural Health Mission (NRHM). The Union Cabinet vide its decision dated 1st May, 2013 has approved the launch of National Urban Health Mission (NUHM) as a Sub-mission of an over-arching National Health Mission (NHM), with National Rural Health Mission (NRHM) being the other Sub-mission. Vide Resolution dated 15th May, 2013, it has been resolved that the existing EPC will be expanded by co-opting Secretary, Housing and Urban Poverty Alleviation (HUPA) and Secretary, Urban

Development (UD) as members. In light of above Resolution, the EPC under NHM is hereby constituted with the following members :—

1. Secretary (Health & Family Welfare) - In the Chair
2. Secretary (Planning Commission)* - Member
3. Secretary (Drinking Water)*-Member
4. Secretary (Women & Child Development)* - Member
5. Secretary (Social Justice and Empowerment)* - Member
6. Secretary (Housing and Urban Poverty Alleviation)* - Member
7. Secretary (Urban Development)* - Member
8. Secretary (Rural Development)* - Member
9. Secretary (Panchayati Raj)* - Member
10. Secretary (Elementary Education)* - Member
11. Secretary (Secondary Education)* - Member
12. Secretary (Development of NE Region)* - Member
13. Secretary (Expenditure)* - Member
14. Secretary (AYUSH)* - Member
15. Secretary (Tribal Affairs)* - Member
16. DGHS-Member
17. Additional Secretary (Financial Adviser) - Member
18. Additional Secretary (Health & Family Welfare) - Member
19. 2 Public Health Professionals - Members
20. Mission Director - Convener

*or their representative

ORDER

Ordered that a copy of the Notification be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

KESHAV DESIRAJU
Secretary

The 31st October 2013

No. R-14011/2/2013-NRHM-II—In continuation to this Ministry's Notification of even number dated 20th September, 2013, the following two Public Health Professionals are nominated on the Empowered Programme Committee (EPC) of National Health Mission (NHM) for the period up to 31.03.2017.

1. Dr. Soumya Swaminathan, Director of the National Institute for Research in Tuberculosis, Chennai.
2. Dr. Nerges Mistry, Director, FRCH, Mumbai.

ORDER

Ordered that a copy of the Notification be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

KESHAV DESIRAJU
Secretary

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 20th December 2013

No. F-10-2/2013-U.3(A)—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. And whereas, on the advice of the UGC, Thapar Institute of Engineering & Technology, Patiala, Punjab was declared as an 'Institution Deemed-to-be-University', for the purposes of the aforesaid Act, vide this Ministry's notification No. F.9-12/84-U.3 dated the 30th December, 1985.

3. And further whereas, the Institution "Deemed-to-be-University" has submitted a proposal in the year 2013 seeking permission for establishment of an off-campus centre at Village-Behra, Behra-Derabassi Road, Tehsil-Derabassi, District-SAS Nagar, Mohali, Punjab under the ambit of "Thapar Institute of Engineering & Technology, Patiala, Punjab".

4. And whereas, the Ministry vide its letter No. 10-2/213/U3(A) dated 15th May, 2013 has forwarded the proposal of Thapar Institute to UGC for examination and recommendations. Further, UGC constituted an Expert Committee for the on the spot assessment of the infrastructural & other facilities available at the proposed off-campus centre.

5. And whereas, the Expert Committee visited the proposed Derabassi off-campus on 27th August, 2013 and came at the view that the existing infrastructure and other essential prerequisites at proposed off-campus at Derabassi are inadequate for running an off-campus of Thapar University and hence cannot be recommended.

6. And further whereas, the Chairman of the Expert Committee (Prof. H. P. Dikshit) received a letter duly signed by the Registrar of the Thapar University on 28th August, 2013 seeking change in initial proposal about relocation of the existing Management School i.e. LMT School of Management to the proposed off-campus at Derabassi.

7. And whereas, in view of the University's letter, the Committee once again visited the proposed Derabassi off-campus on 28th August, 2013. The Committee discussed the proposal in detail and is of the view that such a revised

proposal should come after due approval from Board of Management and other concerned authorities.

8. And further whereas, in response to the Committee's objection, the Institute vide letter No. TU/GAS/225 dated 17th October, 2013 informed the Chairman of the Committee that the revised proposal has been approved by competent bodies of the University.

9. And whereas, after getting the response of the Institute, the Committee recommended that "Since the University through their letter No. TU/GAS/225 dated 17.10.2013 has informed that foregoing proposal has been approved by competent bodies of the University, the proposal for relocation of the existing Management School i.e. LMT School of Management to the proposed off-campus at Derabassi may be considered for approval".

10. And whereas, the report of the Committee was placed before the Commission in its 496th meeting held on 29.11.2013. The Commission's resolution is as under :—

"The Commission revisited the issue in its entirety and after taking into consideration the letter of the Univeristy dated 16th September, 2013 proposing to re-located only its existing MBA Programme (at the main campus at Patiala) to the proposed Off-Campus at Dera Bassi, and University's letter dated 17th October, 2013 informing that the proposal to re-locate the MBA Programme (from main campus to the proposed Off-Campus at Dera Bassi) had been approved by the competent bodies of the University, decided to recommend to the Ministry of HRD the setting up of the Off-Campus Centre at Dera Bassi, by shifting only the existing MBA Programme to the proposed Off-Campus Centre at Dera Bassi."

11. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the adivce of the University Grants Commission (UGC), do hereby declare that re-located MBA Programme from the main campus to the proposed off-campus at Derabassi shall be a constituent teaching unit under the ambit of Thapar Institute of Engineering & Technology, Institution Deemed-to-be-University, Patiala, Punjab, as an off-campus centre subject to biennial review for six years and subsequently after five years, subject to usual terms and conditions as prescribed under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010.

12. The declaration as made in Para 11 above is further subject to fulfillment of the conditons mentioned at Sr. No. 4 of the endorsement to this notification.

R. P. SISODIA
Jt. Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 9th September 2013

No. 6-3/2013-ZCC—The Government of India has set up seven Zonal Cultural Centres (ZCCs) having their headquarters at Patiala, Udaipur, Allahabad, Kolkata, Dimapur, Nagpur and Thanjavur. The main objectives of the ZCCs are the preservation, promotion and dissemination of the traditional folk arts and culture of the various States/UTs. The ZCCs endeavor to develop and promote the rich diversity and uniqueness of various arts of the Zone and to upgrade and enrich consciousness of the people about their cultural heritage.

2. The ZCCs have been set up by cutting across territorial and linguistic boundries and are to project not only the uniqueness of the forms of culture of the participating States but also their linkages with each other as part of a composite Indian culture. In view of the mandate of ZCCs, in order to ensure proper co-ordination not only among the ZCCs but also between the ZCCs and their participating Member States ensuring effective implementation of the programmes and the activities, it has been decided to constitute a Coordination Committee of ZCCs as per the following composition :—

1. Shri Mani Shankar Aiyar	Chairperson (with the Status of a Cabinet Minister)
2. Directors of six ZCCs	Members (Ex-officio)
3. Director of one ZCC, on rotational basis, for a period of one year	Member Secretary (Ex-officio)

3. The terms of reference of the Co-ordination Committee are as under :—

(i) To co-ordinate among ZCCs and their Member States ensuring implementation of the programmes in a befitting manner, implementation of recommendations of Aiyar Committee which are to be implemented by ZCCs and to present art forms of one region to another and expose the diverse cultural heritage of each region to the rest of the country;

(ii) To co-ordinate with Ministry of Culture and other agencies in order to showcase folk and tribal art and artistes from the country at international level;

(iii) To carry out an annual review of the working of the Seven Zonal Cultural Centres to ascertain whether the ZCCs have fulfilled the objectives for which they were set up and the reasons for the shortcomings, if any and submit a report to HE Governer-cum-Chairman of respective ZCC;

(iv) Suggest ways and means for adequate and effective coordination with similar State/Central bodies and other cultural institutions of eminence in the country.

4. The terms and conditons of Co-ordination Committee of ZCCs shall be as under :—

(i) The Co-ordination Committee shall meet at least twice in a year;

(ii) The meetings of the Co-ordination Committee will be held Zone wise, perferably alphabetically, in the States/ UTs under the respective Zone. However, the exact venue will accordingly be decided by the Chairperson;

(iii) For every meeting of Co-ordination Committee one month's notice shall be given to the members;

(iv) Total one third members including the Chairperson shall constitute a quorum for holding the meeting;

(v) The Co-ordination Committee may evolve its other modus operandi to facilitate its functioning.

(vi) The term of the Chairperson of the Co-ordination Committee (CCC) will be for a period of 2 years.

(vii) Shri Shailendra Dashora, Director, West Zone Cultural Centre (WZCC), Udaipur will be the first Member Secretary for a period of one year to be followed by Shri Gaurav Krishna Bansal, Director, North Central Zone Cultural Centre (NCZCC), Allahabad for the second Year;

(viii) The Coordination Committee is authorized to invite Secretaries-Incharge of Culture from States on need basis as special invitee only;

(ix) Where a member of the Co-ordination Committee becomes such member by reason of the office he/ she holds his/her, membership shall deemed to be terminated when he ceases to hold that office;

(x) The Secretarial Assistance, Official Accommodation and Transportation shall be provided by the Ministry of Culture and all the expenditure relating thereto shall be made from the OE of Ministry of Culture.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India, all the State Government and Union Territories.

Ordered also that the Resolutions be published in the Gazette of India for general information.

ARVIND MANJIT SINGH
Jt. Secy.

———

The 17th September 2013

CORRIGENDUM

No. 6-3/2013-ZCC—In partial modification of Ministry of Culture's Resolution No. F-6-3/2013-ZCC dated the 9th September, 2013 Para 4(x) may be read as follows :—

(x) All matters pertaining to provision of manpower for Secretarial Assistance, Official Accommodation, Transportation and other related house keeping functions shall be handled by NCZCC through their local office in Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of the corrigendum be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India, all the State Government and Union Territories.

Ordered also that the corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

ARVIND MANJIT SINGH
Jt. Secy.

New Delhi, the 5th December 2013

No. 10-11/2008-M.I—In pursuance of Article 7(A) of the Memorandum of Association of the National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi and nominations received from the Chairman of the Society of the Institute in consultation with the Central Govt. the Academic Council of the Institute is hereby re-constituted as under for a period of three years from the date of issue of this notification or till it is re-constituted whichever is earlier.

Sl. No.	Composition	Status	Nomination
1	2	3	4
1.	Vice- Chancellor, NMI	Ex-officio Chairman	D.G., National Museum and Vice-Chancellor of the Institute
2.	Director, NMI	Ex- Officio Member	Vacant
3.	Dean (Academic Affairs) NMI and Heads of Departments of the Institute	Ex- Officio Member	(i) Prof. Anupa Pande, Dean (Academic Affairs) and Head, Department of History of Arts (ii) Prof. M.V. Nair, Head, Department of Conservation
4.	Professors other than Heads of Department of the Institute	Ex- Officio Member	Vacant

1	2	3	4
5.	One Reader from each Department other than the Head of the Department by rotation in order of seniority nominated by the V.C.	Ex- Officio Member	Vacant
6.	One lecturer from each Department by rotation in order of seniority nominated by the V.C.	Ex- Officio Member	(i) Dr. Savita Kumari (HOA) (ii) Dr. Satish C. Pandey (Conservation) (iii) Dr. Manvi Seth (Museology)
7.	Five persons from amongst educationist of repute or persons from the field of Museology, archaeology, archival studies, conservation, anthropology and the like but in the service of the Institute, nominated by the Chairman in consultations with the Central Govt.	Members	(i) Smt. Sadhna Kapoor 202, Ganga Jamuna Complex, (Basement) Zone- I, M.P. Nagar Bhopal - 462001 (ii) Dr. S.B. Roy, Chairman, IBRAD JT -17 Prafulla Kanan Kestopur, VIP,-RD , Dum Dum Park, Kolkata -700101 WB (iii) Ms. Tasneem Mehta Hon. Director, DR. Bhan Daji Lal Museum, Veermata Jijabai Udyan, 91/A, Dr. Ambedkar Road, Byculla East, Mumbai -27. (iv) Shri Geetesh Sharma, 19 B, Chaurangi Road, Kolkata- 70087 (v) Shri Asok K. Mahapatra C-II/35, Moti Bagh-I, Shanti Path, New Delhi-110021.
8.	One nominee of the Chairman of the UGC.	Ex- Officio Member	---
9.	One representative from the Department of Central Government dealing with matters related to the Institute.	Ex- Officio Member	Joint Secretary (Museum), Ministry of Culture
10.	Two nominee out of those nominated at Rule 6 A (ix) by rotation.	Ex- Officio Member	(i) DG, National Archives, New Delhi. (ii) Director, NGMA, New Delhi.
11.	Registrar	Non-Member Secretary	Prof. M.V. Nair

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

SANJAY KUMAR
Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 30th December 2013

RESOLUTION

No. 1/18/2012-IEC (Pt.-VI)—Government of India is pleased to constitute Advisory council on Mass Awareness on Water Conservation with the objective to initiate a major awareness campaign on water conservation during the 'Water Conservation Year 2013' and to propagate the policies and programmes of the Ministry of Water Resources with a view to achieve the goals of the National Water Policy 2012 and National Water Mission.

I. Compositions :

1. Minister of Water Resources
   Chairman
2. Secretary, MoWR
   Member

3. Special Secretary/Addl. Secretary, MoWR Member

4. Chairman, Central Water Commission Member

5. Chairman, Central Ground Water Board Member

6. Chairman, Central Pollution Control Board Member

7. Advisor (WR), Planning Commission Member

Representatives

8. Dr. N. K. Sahu, Economic Advisor, M/o. Rural Development

9. Shri Satyabrata Sahu, JS(Water), M/o. Drinking Water & Sanitation

10. Dr. Ashok Singhvi, JS(UD), M/o. Urban Development

11. Shri R. B. Sinha, JS(NRM&RFS), M/o. Agriculture

12. Shri Maninder Singh, JS, M/o. Environment and Forests

13. Joint Secretary(A), MoWR - Member Secretary

Professionals/Experts/Academicians

14. Dr. Ajay Singh, Distt. Udham Singh Nagar

15. Shri Ashok Chauhan, Chairman, Amity University, NOIDA

16. Dr. Sanjay Choudhary, Asstt. Professor, Delhi University

17. Dr. P. P. Singh, HoD Journalism, Bhopal

18. Dr. R. K. Chowdhry, Retd. Agriculture Scientist, Distt. Haridwar

19. Dr. N. R. Ravi, Bangalore

Representatives from NGO's

20. Ramanandacharya, Bhimgaura, Haridwar

21. Chidamuni Saraswati Maharaj, Rishikesh, Distt. Dehradun

22. Shri Rajender Singh 'Jal Purush'

23. Shri Srikunj, Ganga Sabha, Haridwar

24. Shri Ajay Chaudhary, Chairman, Green Valley Public School, Vasantkunj, N. Delhi

Representatives from WUA's/Farmers

25. Shri Motiur Rahman, Rampur (U.P.)

26. Dr. Anil Joshi, Director, HASCO, Dehradun

27. Maulana Fazlur Rehman, New Delhi

28. Shri Ram Khelawan Pasi, Advocate, Pratapgarh (UP)

29. Dr. Anupam Chouksey, Bhopal

30. Shri Manak Agarwal, Bhopal

31. Dr. Santosh Singh, Ex-MP, Azamgarh (U.P.)

Representatives from Panchayat Bodies/Nagar Palikas

32. Shri Ram Singh Saini, Ex-Minister, Roorkee, Haridwar

33. Shri Rameshwar Rajora, Ex-Seva Dal Chief Punjab, Distt. Bhatinda

34. Shri Jawahar Lal, Distt. Pratapgarh (U.P.)

35. Shri Vijay Pal, Mumbai

Eminent personalities from various fields

36. Shri Ravi Thakur, MLA, Himachal Pradesh

37. Shri Madan Lal Pahwa, Journalish & PCC Member, Manak Vihar, New Delhi

38. Shri Arvind Singh, Rajya Sobha TV, New Delhi

39. Shri Rajiv Chandel, Distt. Allahabad (U.P.)

40. Shri Pramod Pradhan, Rourkela

41. Shri Narain Prasad Mishra, Distt. Basti (U.P.)

42. Shri Shailendra Kumar Jha, Channel Head, Life OK, Mumbai

43. Shri Gauri Dutt Joshi, Hdyderabad

44. Shri Ravi Kishan, Andheri (W), Mumbai

45. Shri Kishore Upadhyaya, Ex-MLA, Dalanwala, Dehradun

46. Shri Rajiv Nayan Bahuguna, Dehradun

47. Shri Hari Om Patel, Old Subhash Nagar, Bhopal (MP)

Women Organisations

48. Smt. Manju Chaube, Roorkee, Distt. Haridwar

2. Terms of Reference :

The Council will advise broad guidelines on :

i Creating awareness on importance of Water conservation and necessity of using it judiciously.

ii Creating awareness on Policies and programmes of MoWR.

iii Propagating National Water Policy 2012.

iv Sensitizing about goals of National Water Mission.

v Prioritizing area specific water related problems.

vi Devising area specific technology/solution.

vii Sensitizing various stakeholders.

viii Co-ordination among various stakeholders.

ix Periodic review of action by Centre, State and District level Councils.

3. Meetings :

The Council will meet as and when necessary, however there shall be atleast one meeting every month.

4. Expenditure :

Expenditure on account of TA/DA to official Members of the Council will be met from the source from which they draw their salaries and that of non-official Members, will be borne by the Ministry of Water Resources.

Ordered that the above resolution may be published in the Gazette of India.

ASHOK GUPTA
Director (IEC)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPOLYMENT

New Delhi, the 27th December 2013

No. Q-16012/2/2012-ESA(WE)—Whereas the Central Board for Workers Education was established in 1958 under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860).

AND WHEREAS Rule 3 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education provides its constitution.

NOW, therefore, in pursuance of Rule 3 aforesaid and in continuation of the earlier Notification dated 17th April, 2013; 29th May, 2013; 17th June, 2013 and 12th August, 2013, following person is nominated as member of the Central Board for Workers Education :—

REPRESENTATIVE OF STATE GOVERNMENTS

Smt. Rita Bhadoria Dy. Labour Commissioner Gautam Budh Nagar, Noida, Uttar Pradesh Phone No. 0120-2541894 Mobile No. +919910343382	Member

HARPREET SINGH
Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC.1]—120 Copies.